



राजस्थान सरकार

## राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर +91-141-2702477, 2702528

E-mail :- raj.madarsa@rajasthan.gov.in

Website :- www.minority.rajasthan.gov.in/madarsaboard



क्रमांक: एफ. रामबो/संस्थापन/पै.टी./अति.सुवि./2017-18/

दिनांक:

### कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की आज्ञा संख्या पं.3(7) अल्प.वक्फ/2017/आरके/00603 दिनांक 16.05.2018 के अनुसरण में विविध चरणों में नियुक्त जिन मदरसा शिक्षा सहयोगियों का मासिक मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम है उनका मानदेय दिनांक 01.03.2018 से न्यूनतम मजदूरी तक बढ़ाये जाने एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया के घोषणा के अनुरूप दिनांक 01 जुलाई, 2018 से मानदेय में की जाने वाली 10 प्रतिशत से समायोजित करते हुए मानदेय राशि निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	मदरसा शिक्षा सहयोगी नियुक्ति का चरण	संविदा पर लेने का वर्ष	विद्यमान मानदेय की मासिक दर	दिनांक 01.03.2018 से मानदेय की दर	मूल मानदेय (कॉलम 4) में 10 प्रतिशत वृद्धि के अनुसार मानदेय राशि	दिनांक 01.07.2018 से मानदेय की दर
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम	2001	8250	8250	9075	9075
2	द्वितीय	2003	8250	8250	9075	9075
3	तृतीय	2003	8250	8250	9075	9075
4	चतुर्थ	2008	7150	7202	7865	7865
5	पंचम प्रथम	2011	6710	7202	7381	7381
6	पंचम द्वितीय	2011	6270	7202	6897	7202
7	सीपीटी	2011	6710	7202	7381	7381
8	छठा	2013	5830	7202	6413	7202
9	अप्रशिक्षित एवं 5 वर्ष से कम कार्य अवधि पर	2013	5830	5902	6413	6413
10	एसएसए	2014	8250	8250	9075	9075

मदरसा बोर्ड के मदरसों में नियोजित शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में प्रतिवर्ष 01 जुलाई को रु. 400/- की वृद्धि की जाने का प्रावधान है। शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वृद्धि एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा के अनुसार हुई वृद्धि के कारण विद्यमान मानदेय में रु. 400/- से अधिक वृद्धि हुई है। अतः इनके मानदेय में रु. 400/- की अगली वार्षिक वृद्धि दिनांक 01.07.2019 को की जावेगी।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 211700467 दिनांक 13.04.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


  
सचिव  
राजस्थान मदरसा बोर्ड  
जयपुर

P.T.O

क्रमांक : एफ. रामबो / संस्थापन / पै.टी. / अति.सुवि. / 2017-18 / 5445-52 दिनांक 8/6/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज. जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राज. जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, मानदेय शाखा कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी, भुगतान शाखा कार्यालय हाजा।
8. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर की वेब साईट पर अपलोड करें।
9. संबंधित कार्मिक मानदेय शाखा कार्यालय हाजा।

  
सचिव  
राजस्थान मदरसा बोर्ड  
जयपुर